

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0सं0-1/18-15/2014-374

प्रेषक,

उप सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/ संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/ सभी प्रमण्डलीय उप निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार/ सभी प्रमण्डलीय वाणिज्यकर संयुक्त/ उप आयुक्त, बिहार/ सभी उत्पाद आयुक्त, बिहार/ सभी असैनिक शल्य चिकित्सक, बिहार/ सभी जिला अंवर निबंधक, बिहार/ सभी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार/ सभी प्रमण्डलीय पशु चिकित्सा उप निदेशक, बिहार/ प्राचार्य/ अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, दरभंगा/ पटना/ भागलपुर/ नालन्दा/ मगध, गया/ मुजफ्फरपुर (केवल संबंधित जिलों का)/ प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण विद्यालय, पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना-23/ भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर, बिहार/ सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी (संबंधित जिलों का परीक्षाफल), बिहार/ मुख्य वन संरक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक:- 03-03-2016

विषय:- दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल, 2015 को आयोजित जिला, अनुमंडल एवं अन्य मुफस्सिल कार्यालयों (कार्य विभाग सहित) के लिपिकों की द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2013 एवं प्रथम अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2014 (संयुक्त) का परीक्षाफल।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल, 2015 को आयोजित जिला, अनुमंडल एवं अन्य मुफस्सिल कार्यालयों (कार्य विभाग सहित) के लिपिकों की द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2013 एवं प्रथम अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2014 (संयुक्त) का परीक्षाफल राजस्व पर्षद, बिहार के वेबसाईट <http://boardofrevenue.bih.nic.in> पर upload कर दिया गया है।

2. कृपया अपने जिला से संबंधित परीक्षाफल उपर्युक्त वेबसाईट से download करके अपने अधीनस्थ कार्यालयों के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षाफल से अवगत कराते हुए उनकी सेवा पुस्त में अंकित कराना सुनिश्चित किया जाये।

3. परीक्षाफल के प्रकाशन में नाम, विषय तथा जाति संबंधी या अन्य किसी प्रकार की अशुद्धि के निराकरण के लिए आवेदन पत्र उचित माध्यम (नियंत्री पदाधिकारी/ विभागाध्यक्ष) से इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर राजस्व पर्षद कार्यालय को प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा। सीधे एवं कालवाधित प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
5. अनुसूचित जाति/ जन जाति कोटि के उम्मीदवारों को देय छूट का लाभ देते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। उक्त कोटि के उच्चीर्ण परीक्षार्थियों को आरक्षण से संबंधित किसी प्रकार का लाभ देने के पूर्व उनकी कोटि के संबंध में पूर्णतया आश्वस्त हो लेंगे।
6. जिला परिषद् एवं किसी अन्य गैर सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान के कर्मचारी का नाम यदि प्रकाशित परीक्षाफल में हो तो उसे अमान्य समझा जाय।
7. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दी जाये।

विश्वासभाजन

उप सचिव २०१६
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।
03/3/16